# <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 63 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:--05 / 02 / 14</u> फायलिंग नं. 233504000862014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

## वि रू द्ध

मुकेश पिता दाजीबा कुंबी, उम्र 25 वर्ष, निवासी तिरमहू थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

## <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

# (आज दिनांक 28.08.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भा0दं०सं० एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 130(3)/177, 146/196 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 24.01.2014 को समय रात्रि करीब 08:00 बजे तिरमहू हरदोली के बीच स्टाफ डेम के पास थाना आमला जिला बैतूल में लोक मार्ग पर वाहन लाल रंग का आईसर मय ट्राली क. एमपी—48—ए—1445 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं बुलेरों का टक्कर मारकर उसका बोनट, सामने का टायर आदि का नुकसान कर 30,000/— रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाकर रिष्टी कारित की तथा उक्त वाहन का मौके पर रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेश पेश नहीं किया तथा उक्त वाहन को बिना बीमे के चलाया।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी देवधर के द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 130(3)/177, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से तथा धारा 427 भा.दं.सं. हेतु फरियादी का समक्ष पक्षकार न होने से आवेदन खारिज कर प्रकरण में अभियुक्त का विचारण अग्रसर किया गया।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 24.01. 2017 को बुलेरो जीप क. एमपी—28—सी—8645 से सोनेगांव से आमला तरफ आ

रहा था। तभी ग्राम हरदोली के आगे तिरमहू की ओर से एक द्रेक्टर चालक द्रेक्टर को काफी तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसकी जीप के सामने के भाग बोनट झ्रायवर साईड का दरवाजा सामने का टायर टूट गया जिससे उसकी गाड़ी में करीब 30,000/— रूपये का नुकसान हुआ। द्रेक्टर चालक जीप को ठोस मारकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अज्ञात द्रेक्टर चालक के विरूद्ध अपराध क. 75/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। वाहन बुलेरो जीप क. एमपी—28—सी—8645 का नुकसानी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त से आईसर द्रेक्टर मय द्राली जिसका क. एमपी—48—ए—1445 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने लोक मार्ग पर वाहन लाल रंग का आईसर मय ट्राली क. एमपी—48—ए—1445 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बुलेरो को टक्कर मारकर उसका बोनट, सामने का टायर आदि का नुकसान कर 30,000/— रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाकर रिष्टी कारित की ?
- 3. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन का मौके पर रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेश पेश नहीं किया ?
- 4. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को बिना बीमे के चलाया ?
- 5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

## ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

### विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 04 का निराकरण

- विधर (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह अभियुक्त को नहीं पहचानता है। घटना वर्ष 2014 की शाम की हरदोली और तिरमहू के बीच डेम के पास की है। घटना के समय वह बुलेरो वाहन से आमला की ओर आ रहा था तभी सामने से एक ट्रेक्टर से आ रहे ट्रेक्टर की दाली उसकी गाड़ी से टकरा गयी थी जिससे उसकी गाड़ी का बोनट खराब हो गया था और गाड़ी के गेट में खरोच आयी थी तथा सामने का टायर भी खराब हो गया था। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि वह ट्रेक्टर का रंग, नंबर और ट्रेक्टर को कौन चला रहा था देख नहीं पाया था। उसे तथा वाहन में बैठे किसी व्यक्ति को चोट नहीं आयी थी। उसे मात्र मामूली खरोच आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाने में प्रदर्श पी—1 रिपोर्ट की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तथा नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—3 तैयार किया था।
- 7 न्यायालय द्वारा साक्षी देवधर (अ.सा.—1) से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि द्रेक्टर तेज एवं लापरवाही से सामने से आया था। स्वतः में साक्षी ने यह बताया है कि गाड़ी की रोशनी के कारण वह देख नहीं पाया था कि द्रेक्टर कैसे आ रहा था।
- 8 प्रतिपरीक्षण में साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय अंधेरा हो गया था इसलिए वह देख नहीं पाया था कि द्रेक्टर कौन चला रहा था। उसे वाहन द्रेक्टर का नंबर भी नहीं मालूम। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि घटना के समय अंधेरा था, सामने से आ रहा द्रेक्टर कैसे चल रहा था वह देख नहीं पाया था।
- 9 अभिलेख पर फरियादी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से एवं उसके द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने से अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- विधर (अ.सा.—1) ने अभियुक्त को पहचानने से इनकार किया है। साथ ही साक्षी ने वाहन का नंबर बताने में भी असमर्थता व्यक्त की है। साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना के समय अंधेरा होने के कारण वह यह भी नहीं देख पाया था कि द्रेक्टर किस तरह से द्रेक्टर चालक के द्वारा चलाया जा रहा था। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा ट्रेक्टर क. एमपी—48—ए—1445 चलाया गया। तब ऐसी परिस्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर वाहन बुलेरों को क्षतिग्रस्त कर नुकसान कारित किया गया। घटना दिनांक 24.01.2014

की है तथा अभियुक्त से वाहन की जप्ती दिनांक 03.02.2014 को घटना के लगभग 10 दिन बाद की गयी है। तब ऐसी परिस्थिति में जबिक घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाया जाना ही प्रमाणित नहीं है तब अभियुक्त के द्वारा वाहन देक्टर एवं द्वाली बिना बीमा, रिजस्देशन एवं फिटनेश के चलाया गया तथा मौके पर उक्त दस्तावेज पेश नहीं किये गये।

### विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

- 11 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन लाल रंग का आईसर मय ट्राली क. एमपी—48—ए—1445 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं बुलेरों का टक्कर मारकर उसका बोनट, सामने का टायर आदि का नुकसान कर 30,000/— रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाकर रिष्टी कारित की तथा उक्त वाहन का मौके पर रिजस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेश पेश नहीं किया तथा उक्त वाहन को बिना बीमे के चलाया। फलतः अभियुक्त मुकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 427 एवं धारा 130(3)/177, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली के जिसका क. एमपी—48—ए—1445 सुपुर्ददार पंजाबराव पिता गोण्डू निवासी तिरमहू तहसील आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिया गया है। अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)